

दिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>फरमाया जाने का निवेदन किया।</p> <p>पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकोर्ड एवं पैशाशुदा राजीनामा का अक्लौकन किया गया जिनके अक्लौकन से पता गया कि डाबी का वास्तविक नाम आचार कांड, परिवार तारन कांड एवं भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र में "लालचन्द पुत्र महादेव" अंकित है जिसकी प्रुष्टि सपंच, ग्राम पंचायत गौविन्दपुरा पं. स. छण्डेला (सीकर) द्वारा की गई है जबकि वादी की विवादीत भूमियों में अपना कौलता नाम "मालीराम उर्फ लालचन्द उर्फ लालाराम पुत्र महादेव" दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। अतः वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा उक्ता में घोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि:-</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>तब ग्राम उदयपुरा पटवार हल्का गौविन्दपुरा तहसील छण्डेला जिला सीकर एज. अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 21 ता 24 काबा 346 हे. में वादी का कौलता नाम दर्ज "मालीराम उर्फ लालचन्द उर्फ लालाराम पुत्र महादेव" हिस्सा 1/3 के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम "लालचन्द पुत्र महादेव" हिस्सा 1/3 का आदेश काशतकाट घोषित किया जाता है अर्थात् विवादीत भूमियों में "मालीराम उर्फ लालचन्द उर्फ लालाराम पुत्र महादेव" के स्थान पर "लालचन्द पुत्र</p>	

महादेव " द्वास्त किया जाता है। तदनुसार उमरा-
नुसार राजस्व रेकोर्ड में उमल दामद
है तदनुसार पर्चा डिक्री जारी है। फतावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है तथा
बाद तकमील दाखिल दफ्तर है। निर्णय जूरी
न्यायालय में सुनाया गया।

03/04/2019



सहायक जज
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला